हरियाणा मंत्रिमंडल का फैसला : अब पुलिस सिपाही, सब इंस्पेक्टर भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए 10 गुना को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट

- पहले चार गुना को शॉर्टलिस्ट करने का था प्रावधान, लिखित परीक्षा की पहले 94.5 प्रतिशत वेटेज थी

डॉ. सुरेंद्र धीमान/सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 9 दिसंबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पुलिस में सिपाही और सब-इंस्पेक्टर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इन नियमों को पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में अब लिखित परीक्षा (नॉलेज टेस्ट) के लिए 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले चार गुना को ही शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था। इसके अलावा अब लिखित परीक्षा की वेटेज 97 प्रतिशत की होगी जबकि पहले 94.5 प्रतिशत थी। एनसीसी के लिए अधिकतम तीन अंक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.16 में संशोधन किया गया है। मौजूदा उप-नियम (8) को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण (पीएसटी) में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, जिन्हें नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए।

एनसीसी के यूं मिलेंगे नंबर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सिपाही और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में उप-नियम (10) को भी प्रतिस्थापित किया गया है। नए प्रावधान के तहत एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा, जिसमें ए ग्रेड सर्टिफिकेट पर एक अंक, बी सर्टिफिकेट पर 2 अंक, सी सर्टिफिकेट पर 3 अंक दिए जाएंगे। यह प्रावधान पहले भी लागू था।

इस तरह का होगा 97 प्रतिशत वेटेज का नॉलेज टेस्ट

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि नॉलेज टेस्ट में 97 प्रतिशत वेटेज होगा और यह वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित होगी, सिवाय उन स्थितियों के जब हिंदी/अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो। प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य तर्कशक्ति, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन तथा संबंधित क्षेत्रों या ट्रेड्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10 प्रतिशत प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित और कम से कम 20 प्रतिशत प्रश्न हरियाणा के मूलभूत ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्नों का स्तर शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा - कॉन्स्टेबल के लिए 10+2 और सब-इंस्पेक्टर के लिए स्नातक स्तर। सामान्य श्रेणी के पदों के लिए चयन हेतु नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी (वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल) के उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।

सिपाही के 6000 पदों की भर्ती में मिलेगा महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण : मुख्यमंत्री

दैनिक सवेरा ने पूछा कि आपने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि सिपाही के जो 6000 पदों की भर्ती होगी, उसमें महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा मगर सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सिपाही और सब इंस्पेक्टर की भर्ती में क्या आरक्षण के लिए संशोधन हुआ है? मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें संशोधन नहीं हुआ है मगर यह अवश्य है कि इन 6000 पदों की भर्ती में महिलाओं को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

दैनिक सवेरा ने पूछा कि जब आपने 17 अक्तूबर, 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अगले दिन लगभग 25000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए थे मगर उन ग्रुप सी पदों की आज तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई।

ये अभ्यर्थी दैनिक सवेरा को भी संदेश भेजते रहते हैं, आपसे भी मिलते रहते हैं और हाईकोर्ट में भी केस किया हुआ है। क्या यह वेटिंग लिस्ट जारी होगी? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया, 'वेटिंग लिस्ट जारी करने का समय होता है। अब यह समय निकल गया है। वैसे भी एचएसएससी स्वायत्त संस्था है।' दैनिक सवेरा ने पूछा कि आपने भर्तियों की बात कही थी अब तो सीईटी का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है तो भर्तियों का क्या शेड्यूल रहेगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आयोग ने सीईटी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। उन्होंने सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बधाई दी और एचएसएससी स्वायत्त संस्था है और वह अपना भर्ती कैलेंडर स्वयं जारी करती है। दैनिक सवेरा ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी से पूछा कि पिछले साल जिन ग्रुप सी पदों की चयन सूची जारी हुई थी, उनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है तो उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल और अतिरिक्त निदेशक (प्रेस) डॉ साहब राम गोदारा भी उपस्थित थे।

पुलिस: कॉन्स्टेबल-एसआई भर्ती के लिए नई शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया, नॉलेज टेस्ट का वेटेज 97% का

शॉर्ट लिस्ट प्रक्रिया: पुलिस कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण में पास अभ्यर्थियों में से प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या से 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करेगा।

नॉलेज टेस्ट का वेटेज: शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसका वेटेज 97% होगा। यह टेस्ट वस्तुनिष्ठ, बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा।

पेपर का सिलेबस: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर्स, सामान्य तर्कशक्ति, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन, संबंधित क्षेत्रों या ट्रेड्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। कम से कम 10% प्रश्न बेसिक कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित और कम से कम 20% प्रश्न हरियाणा के मूलभूत ज्ञान से संबंधित होंगे।

अंकों की अनिवार्यता: सामान्य श्रेणी के पदों के लिए चयन हेतु नॉलेज टेस्ट में न्यूनतम 50% व आरक्षित श्रेणी (वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल) के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक लाना जरूरी होगा।

पुलिस में 6,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी

महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी करेंगे: सैनी

महिलाओं के लिए 1,250 पद आरक्षित

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। पुलिस विभाग में 6,000 पदों पर भर्ती जल्द होगी। इनमें 1,250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सीएम ने यह बात गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

महिला सुरक्षा व पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में उठाए जा रहे अनेक कदम : सीएम

संकल्प पत्र के लक्ष्यों पर तेज प्रगति

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे तेजी, पारदर्शिता और परिणामों पर आधारित कार्यप्रणाली के साथ लागू किए जा रहे हैं। नागरिक सेवाओं को मजबूत करने, सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने और न्याय वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

महिला पुलिस सेवाओं का व्यापक विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सात नए महिला पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में 33 महिला पुलिस थाने संचालित हो रहे हैं और विभिन्न जिलों में नए थानों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। महिला हेल्पडेस्क और फील्ड में बढ़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को और आसान बनाया है, जिससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है।